संoसंo–1/विविध–10/2018– 76 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 6 / 12 /2018

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.) के लिए रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम में समतुल्य राशि के निवेश हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–1378 (1) दिनांक–6-12-18 द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.) के लिए रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम में समतुल्य राशि के निवेश हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2– बिहार सरकार द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु रु0 50.00 करोड़ की यह राशि निगम में राज्य सरकार के निवेश के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। भविष्य में निगम अपने स्रोत से भी चक्रीय निधि की इस कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करेगी।

3– चक्रीय निधि (Revolving Fund) से व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य संस्थानों को निगम द्वारा आपूर्त्ति किये गये सामग्रियों (दवा, उपकरण आदि) के विरुद्ध प्राप्त राशि से तुरंत कर दी जायेगी।

4– चक्रीय निधि (Revolving Fund) का संचालन एवं रख–रखाव बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 द्वारा किया जायेगा, जिसका निगम के अंकेक्षण बोर्ड द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण किया जायेगा।

5– इस योजना के व्यय का वहन माँग सं0–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम के अंतर्गत, उप–शीर्ष–0101–बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, विपत्र कोड–20–4210801900101, विस्तृत शीर्ष–54–निवेश एवं वस्तुगत शीर्ष–01–निवेश, में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9– इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/विविध–10/2018 के पृष्ठ–40/टि0 पर प्राप्त है।

10– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 6/12/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2018–76(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 6 / 12/ 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 7, 10, 12 एवं 16, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के विशेष सचिव

सं0सं0–1 / विविध–10 / 2018–1378(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 6 / 12 / 2018

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.) के लिए रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम में रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) मात्र के निवेश की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–466(1) दिनांक–18.05.2010 के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–617 के तहत् बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 गठित है। इस निगम को बिहार वित्त नियमावली के नियम–129 के अन्तर्गत दवा, उपकरण, सेवाएँ एवं निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए "राज्य क्रय संगठन" नामित किया गया है। निगम को गुणवत्तायुक्त दवा, उपकरण, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति की व्यवस्था न्यूनतम दर पर करना है।

2– राज्य के सभी स्तर के अस्पतालों (चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सहित) में आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों की निर्बाद्ध आपूर्ति बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 के पास समय पर इनकी अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक निधि सदैव उपलब्ध रहे। निगम के पास निधि की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए यह आवश्यक है कि निगम के लिए तत्काल रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) मात्र का चक्रीय निधि (Revolving Fund) सृजित किया जाय।

3– तदनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधीन गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.) के लिए रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम में रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़) मात्र के निवेश की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4– बिहार सरकार द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु रु0 50.00 करोड़ की यह राशि निगम में राज्य सरकार के निवेश के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। भविष्य में निगम अपने स्रोत से भी चक्रीय निधि की इस कार्यो को बढ़ाने का प्रयास करेगी।

5– चक्रीय निधि (Revolving Fund) से व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य संस्थानों को निगम द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों (दवा, उपकरण आदि) के विरुद्ध प्राप्त राशि से तुरंत कर दी जायेगी।

6– चक्रीय निधि (Revolving Fund) का संचालन एवं रख–रखाव बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 द्वारा किया जायेगा, जिसका निगम के अंकेक्षण बोर्ड द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण किया जायेगा।

क्रमशः

7– इस योजना के व्यय का वहन माँग सं0–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम के अंतर्गत, उप–शीर्ष–0101–बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, विपत्र कोड–20–4210801900101, विस्तृत शीर्ष–54–निवेश एवं वस्तुगत शीर्ष–01–निवेश, में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– प्रस्तावित निवेश की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक–09.10.2018 की बैठक में मद संख्या–17 पर प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–10/2018 के पृष्ठ–...40.../टि0 पर प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2018–1378(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 6/12/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 7, 10, 12 एवं 16, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव